

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी जिला बालोतरा
क्रमांक/वाद/2026/ 141

दिनांक 14/5/2026

प्रेषित:- सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) बायतु जिला बाड़मेर

विषय-क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से राजस्व न्यायालय की पत्रावली स्थानान्तरित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में उपखण्ड तहसील क्षेत्र सिणधरी (जिला बालोतरा) के राजस्व ग्राम खरंटिया को वर्तमान में तहसील बायतु (जिला बाड़मेर) में सम्मिलित किया गया है।

अतः अधिसूचना के दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित राजस्व न्यायालय की पत्रावलियां क्षेत्राधिकार परिवर्तन की दशा में जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजी जा रही है। उक्त पत्रावलियां RRCS पोर्टल पर स्थानान्तरित कर दी गई है। कृपया पार्वती रसीद दिलवाने का श्रम करावें।

क.सं.	अनवान	धारा	किस्म	मुकदमा सं.	GCMS Portal No.
1	भुरीदेवी बनाम दमीदेवी	88, 40, 188, 209 रा.का.अधि.	वाद	60/2024	2024/137
2	भुरीदेवी बनाम दमीदेवी	212 रा.का. अधि.	आवेदन	79/2024	2024/138

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक 14/5/2026

क्रमांक/वाद/2026/ 142, 145
प्रति-निम्न को पालनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर/बालोतरा।
2. प्रार्थी मय अधिवक्ता/विप्रार्थी मय अधिवक्ता
3. गार्ड पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी